

ओ०पी० सिंह

आई०पी०एस०



डीजी-परिपत्र संख्या-32/2018

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश

1 तिलकमार्ग, लखनऊ।

दिनांक : लखनऊ: जून 21, 2018

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि बच्चों का गुम हो जाना एक अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है। यद्यपि कुछ बच्चे अपनी इच्छा से घर छोड़कर भाग जाते हैं लेकिन इस बात से कदापि इंकार नहीं किया जा सकता है कि कई बच्चे विभिन्न कारणों विशेष रूप से फिरौती के लिए अपहरण, संगठित गिरोह द्वारा भीख मंगवाने, मादक द्रव्य का व्यापार, जेब कटवाने के लिए, बाल श्रमिक के रूप में उपयोग के लिए एवं अंग प्रत्यारोपण के लिए बच्चे, विशेष रूप से लड़कियों को यौन शोषण के लिए विभिन्न शहरों एवं विदेश में अनैतिक व्यापार के लिए अगवा किया जाता है।

आप सहमत होंगे कि जहाँ एक ओर यह एक गम्भीर अपराधिक कृत्य है वहीं दूसरी ओर बच्चों का गुम हो जाना उनके माता पिता एवं उनके परिवारिक सदस्यों के लिए मानसिक आघात है। पुलिस को गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में अत्यन्त संवेदनशील होने की आवश्यकता है। बच्चों के गुम होने के मामले भी मा० न्यायालयों/आयोगों और मीडिया में प्रमुखता से उठाये जाते हैं। गुमशुदा बच्चों की बरामदगी एवं पुलिस कार्यवाही सम्बन्धी परिपत्र समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश के साथ निर्गत किये गये हैं, जो पार्श्वकित पर अंकित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्रों का सम्यक रूप से अनुपालन नहीं किया/कराया जा रहा है।

गुमशुदा बच्चों के अपराध पंजीकरण/विवेचनात्मक कार्यवाही/बरामदगी आदि की कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्माकित निर्देश अनुपालनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं:-

- धाने पर गुमशुदा बच्चों की शिकायत एवं शिकायतकर्ता को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुना जाये और उन्हें कदाचित्त यह परामर्श नहीं दिया जायेगा कि वह पहले बच्चों को स्वयं ढूँढ ले, क्योंकि इससे पुलिस कार्यवाही करने में अनावश्यक विलम्ब होगा।
- धाने पर समस्त कर्मियों को इस ओर संवेदनशील बनायें, कि वह शिकायतकर्ता के साथ शिष्ट व भद्र व्यवहार करते हुए वैधानिक कार्यवाही करें।
- गुमशुदा बच्चों की सभी सूचनाओं पर धारा 363 भादवि का मुकदमा दर्ज किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। ऐसा न करने पर धानाध्यक्ष एवं हेड मोहरीर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि शिकायत कर्ता का यह स्पष्ट आरोप है कि बच्चे का अपहरण किसी अपराध घटित करने के उद्देश्य से हुआ है तदनुसार धारा-364 भादवि एवं यदि फिरौती के लिए किया गया है तो 364ए भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जायेगा।

पुलिस महानिदेशक/उ०प्र०

जयपुर

रिश्तदार

3/16
25/16
31/16

गुमशुदा बच्चों के सभी पंजीकृत अपराध " स्पेशल एस०आर०" केस होंगे। मुकदमा पंजीकृत होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति बच्चों के समस्त विवरण के साथ पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, विशेष बाल कल्याण पुलिस इकाई (SJPU) तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी को 24 घण्टे के अन्दर भेजी जायेगी। जिस जनपद में एण्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट (AHTU) स्थापित है, तो उस इकाई को भी सूचना दी जायेगी।

गुमशुदा बच्चों के अभियोग से सम्बन्धित विवेचक द्वारा गुमशुदा बच्चों का हुलिया, पता, फोटो, घटना का विवरण, खोये जाने की परिस्थितियों, बच्चों के जा सकने वाले सम्भावित स्थान, संदिग्ध अपहरणकर्ताओं का

विवरण, उसके शरणदाताओं/रिश्तेदार/नित्र इत्यादि के पते घटना स्थल तथा अपहृत बच्चों के घर एवं अविभावक इत्यादि से समस्त सूचना सामग्री तत्परता से एकत्रित करेगा।

- संकलित सूचनाओं के आधार पर वह सभी ऐसे स्थान, जहाँ पर बच्चों के गुम होने की सम्भावना हो सकती है, जैसे- स्थानीय सिनेमाघर, बस-स्टैंड, रेलवे-स्टेशन, माल-बाजार, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर बीट आरक्षी के साथ बच्चों को ढूँढने का प्रयास करेंगे। बीट आरक्षी आने-जाने वाले टैम्पो-टैक्सी पर सतर्क दृष्टि रखते हुए सूचना का संकलन करेगा।
- जनपद के कन्ट्रोल रूम के वाहनों को भी खोये हुये बच्चों के सम्बन्ध में सूचना प्रसारित की जायेगी ताकि वह भी क्षेत्र में भ्रमण करते समय उसे ढूँढ सके।
- विवेचक का यह दायित्व होगा कि वह स्वयं जिला प्रोबेशन अधिकारी के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और केबिल चैनलों पर भी बच्चों के गुम होने की सूचना प्रसारित करायेगा।
- विवेचक, बच्चों के माता पिता व अविभावक से समस्त विवरण व फोटों ग्रफ प्राप्त कर SJPU/DCRB में Trackthemissingchild Software में सूचना अपलोड करायेगा। यह कार्यवाही 24 घण्ट के अंदर पूर्ण कर ली जायेगी।
- विवेचक का यह भी दायित्व होगा कि शुरू में प्रत्येक सप्ताह और बाद में प्रत्येक पक्ष खोये हुये बच्चों के अविभावक को जिला मुख्यालय स्थित SJPU/DCRB में Trackthemissingchild Software से मिले हुये बच्चों के विवरण से उनके खोये हुये बच्चों का मिलान कराकर बच्चों को ढूँढने का प्रयास किया जायेगा।
- वह सभी प्रकरण जहाँ पर 03 वर्ष से 08 वर्ष तक के बच्चों 04 माह तक बरामद नहीं होते हैं, तो उनकी विवेचना जनपदीय क्राइम ब्रान्च के अन्तर्गत स्थापित एण्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट (AHTU) को स्थानान्तरित की जायेगी। अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, अपराध उन विवेचनाओं को अपने निकट पर्यवेक्षण में कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक 03 माह के अन्तराल में पुलिस अधीक्षक अपने जनपद में गुमशुदा बच्चों की बरामदगी के लिए अभियान चलाकर खोये हुये बच्चों को ढूँढने का प्रयास करेंगे। परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक वर्ष में कम से कम 03 बार गुमशुदा एवं अपहृत बच्चों के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर की गयी कार्यवाही की गहन समीक्षा करेंगे।
- जोगल अपर पुलिस महानिदेशक, जोन्स के जनपदों में गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में समीक्षा करेंगे।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर संवेदनशील होकर जनपद में एक कार्यशाला आयोजित कर उपरोक्तांकित निर्देशों से जनपद के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुए समय से इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(अ०पी० सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, 00प्र०।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून/व्यवस्था, 00प्र० लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, 00प्र०।
4. समस्त जौनल अपर पुलिस महानिदेशक, 00प्र०।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, 00प्र०।
6. पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, 00प्र०।